

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 330 /2017-2018 दिनांक 30 जून, 2017


"विज्ञप्ति / नियुक्ति"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थी को शासनादेश सं० 349/XXIV-नवसृजित/2017-17(01)/2011 दिनांक 09 मई, 2017 एवं शासनादेश संख्या 257/XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता संगीत (महिला शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

| क्र०सं० | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता   | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि गृह जनपद | शैक्षिक योग्यता            | विद्यालय का नाम               | अभ्युक्ति         |
|---------|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01      | 02              | 03  | 04                 | 05                | 06                         | 07                            | 09                |
| 1       | तनुजा त्रिवेदी  | स्व०श्री हरीश चन्द्र त्रिवेदी, ग्राम चुंगोली पो०ओ० बरसमीडा जिला अल्मोडा | GEN/UF             | 20-04-90 अल्मोडा  | एम०ए० संगीत (गायन) बी०ए०ड० | रा०बा०इ०का० खुर्पाताल नैनीताल | रिक्त पद के प्रति |

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का चयन/नियुक्ति स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।


  
(रामकृष्ण अनियाल)  
अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू०सं० सेवा-2/अराज./ 8835-48 /2017-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (5) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (6) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) विल्ट एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (10) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

- (11) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा औपबन्धन की स्थिति में उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुरूप इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (12) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।
- (13) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (14) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
(सी०एस०बि०ष्ट) 30/01/17  
उप निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड